आखिरी जांच: 20 अक्टूबर 2026 · Social Justice and Empowerment Department (Director, Social Defence), Government of Gujarat

Assistance scheme at the time of marriage of daughter who is a beneficiary of Foster Parent Scheme or Mukhya Mantri Baal Seva Yojana

पालक माता-पिता योजना या मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना से मदद पाने वाली बेटी की शादी पर गुजरात सरकार की ओर से एक बार Rs 2 लाख की मदद।

क्या मिल सकता है

शादी के समय कुल Rs 2,00,000 की एक बार की मदद। पैसा DBT से सीधे बेटी के अपने बैंक खाते में आता है।

किसके लिए है

गुजरात की वे बेटियाँ जिन्हें पालक माता-पिता योजना या मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना से मदद मिली है और जिनकी शादी 18 साल या उससे अधिक उम्र में हो रही है।

मुख्य शर्तें

- आप पालक माता-पिता योजना या मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की लाभार्थी हों।
- आपकी उम्र 18 साल पूरी हो चुकी हो।
- आपकी शादी 1 अप्रैल 2023 को या उसके बाद हुई हो।
- शादी की तारीख से 2 साल के अंदर आवेदन करना होगा।
- यह मदद केवल एक बार मिलती है।

दस्तावेज़

- बेटी की जन्मतिथि का प्रमाण
- दूल्हे की जन्मतिथि का प्रमाण
- पालक माता-पिता योजना या मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ मिलने का प्रमाण
- विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र
- बेटी का आधार कार्ड
- बेटी के बैंक खाते की जानकारी: रद्द किया हुआ चेक या खाता नंबर वाला पासबुक का पन्ना

आवेदन कैसे करें

1. जिला समाज सुरक्षा अधिकारी कार्यालय या जिला बाल सुरक्षा अधिकारी कार्यालय से आवेदन फॉर्म मुफ्त लें। यह फॉर्म समाज सुरक्षा विभाग के फॉर्म पेज पर भी है।
2. जानकारी भरें और बताए गए दस्तावेज़ लगाएँ।
3. शादी के 2 साल के अंदर उसी कार्यालय में फॉर्म जमा करें।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://sje.gujarat.gov.in/dsd/Schemes/160625
आधिकारिक आवेदन: https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/index.aspx?ServiceID=vkTvi0jAsQA4wTME3Jx6tQ==
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/gujarat/gj-palak-mata-pita-daughter-marriage-sahay/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।